संख्या-आई/1395275/2026/92-1-2026

प्रेषक,

सौरभ बाबू
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनु०-1 **लखनऊ: दिनांक: 14-07-2026**

विषय:- समूह-क एवं समूह-ख के अधिकारियों को उनके गृह जनपद/गृह मण्डल का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ध्यातव्य है कि वार्षिक स्थानांतरण नीति-2026 के संबंध में निर्गत कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 05.05.2026 के प्रस्तर-4 (ii) एवं 4 (iii) में यह व्यवस्था है कि "समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जाएगा किन्तु समूह 'क' के ऐसे अधिकारियों, जिनके पद मंडल स्तरीय हैं, उन्हें उनके गृह मंडल में तैनात नहीं किया जाएगा। समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जाएगा, परंतु प्रतिबंध यह है कि उक्त प्राविधान केवल जनपद स्तरीय विभागों/कार्यालयों में लागू होगें।"

2- समूह 'क' एवं समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद/ गृह मंडल का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किए जाने के विषय में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श प्रदान किया गया है कि, **स्थानांतरण नीति के आलोक में समूह 'क' के किसी अधिकारी को उसके गृह जनपद में, मंडल स्तरीय समूह 'क' के अधिकारी को उनके गृह मंडल में तथा समूह 'ख' के अधिकारी को उनके गृह जनपद में स्थित पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।**

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समूह 'क' एवं समूह 'ख' के अधिकारियों को गृह जनपद/ गृह मंडल का अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त परामर्श के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
(सौरभ बाबू)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in